अनुदान संख्या 12 – औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
GRANT No. 12 - DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5430,56,00			
			5430,61,00	5303,03,13	-127,57,87
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				87,50,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	709,67,00			
			726,00,00	717,55,10	-8,44,90
पूरक	Supplementary	16,33,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	9900.00			
			8325.00	7696.21	-628.79
पु.	R.	-1575.00			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	8370.00			
			7749.00	6936.58	-812.42
पु.	R.	-621.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	108876.00			
पू.	S.	2.00	83.00	..	-83.00
पु.	R.	-108795.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	126197.00			
पू.	S.	2.00	78042.50	76326.53	-1715.97
पु.	R.	-48156.50			
मुख्य शीर्ष "2885"	Major Head "2885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	270505.00			
पू.	S.	1.00	420526.00	420506.35	-19.65
पु.	R.	150020.00			

(I) ₹108989.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹108798.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत –निम्निलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹108989.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2018 and February, 2019) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹108798.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "तकनीकी शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता" – ₹2000.66 लाख (₹0.66 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(A) "Technical Education-Other Expenditure-Project Based Support to Autonomous Bodies"- ₹2000.66 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.66 lakh);

(खा) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास सहायिकी" –

(B) "Development of Backward Areas subsidies" -

(क) "पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास" – ₹91797.34 लाख (₹1.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(a) "Industrial Development of Backward and Remote Area" - ₹91797.34 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.34 lakh); and

(ख) "सिक्किम सहित जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता" – ₹15000.00 लाख।

(b) "Budgetary Support under Goods and Service Tax regime to the units located in State of J&K, Uttrakhand, HP and North Eastern States including Sikkim"- ₹15000.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग" – के अंतर्गत ₹2059.89 लाख की बचत (₹8950.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Industrial Policy and Promotion" - saving of ₹2059.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8950.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "विस्फोटक – पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन" के अंतर्गत – ₹1433.42 लाख की बचत (₹8370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा हार्डवेयर की संस्थापना पूरी न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2070" - "Explosives - Petroleum and Explosives Safety Organisation" - saving of ₹1433.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8370.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and non-completion of installation of hardware.

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "उपभोक्ता उद्योग – चमड़ा – भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" – ₹26087.30 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – अन्य व्यय" –

(क) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" – ₹12447.88 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20000.33 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने तथा एमआईआईयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्धियां प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ख) "मेक इन इंडिया" – ₹14329.80 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹28122.34 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने एवं उपयुक्त प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹686.85 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 38 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹139092.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में ₹5.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – अन्य व्यय – स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता" –

(IV) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Consumer Industries - Leather - Indian Leather Development Programme" - saving of ₹26087.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals towards skill development programmes.

(B) "General - Other Expenditure" -

(a) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - saving of ₹12447.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20000.33 lakhs including token supplementary grant of ₹0.33 lakh obtained in February, 2019) was due to receipt of less proposals and non-achievement of milestones as per MIIUS guidelines.

(b) "Make in India" - saving of ₹14329.80 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹28122.34 lakhs including token supplementary grant of ₹0.34 lakh obtained in February, 2019) was due to receipt of less proposals and non-materialisation of eligible proposals.

(V) Under two heads savings of ₹686.85 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 12 percent and 38 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹139092.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹5.00 lakhs in July, 2018 and February, 2019 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous

₹4072.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4019.41 लाख था।

Institutions" - ₹4072.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4019.41 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" – "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी – पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास" – ₹135020.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹135015.00 लाख था।

(B) Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies - Industrial Development of Backward and Remote Area" - ₹135020.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹135015.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2885" – "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी – सिक्किम सहित जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं – ₹14986.35 लाख का अधिक व्यय (₹135000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies - Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu and Kashmir, Uttrakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim"- excess of ₹14986.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹135000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹844.90 लाख) फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1633.00 लाख के पूरक अनुदान का 52 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹844.90 lakhs) constituted 52 percent of the supplementary grants of ₹1633.00 lakhs obtained in February, 2019 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	967.00			
पू.	S.	1633.00	1800.00	1756.10	-43.90
पु.	R.	-800.00			

(I) ₹801.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹800.00 लाख अकेले – "कार्यालय भवन – निर्माण – बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड" के अंतर्गत भवनों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹801.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹800.00 lakhs alone accounted for under "Office Buildings - Construction - Intellectual Property Appellate Board" - due to non-materialisation of proposals towards construction of buildings.